कार्यालय जिलाधिकारी, अमेठी

पत्रांकः 6247 /पं०/स्व०भा०मि०-ग्रा०/FSM-FSTP/2023-24 दिनांक- 13/02/24

कार्यालय ज्ञाप

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम चरण अन्तर्गत जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की कु-प्रथा से मुक्त कराते हुए दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को बेसलाइन सर्वे 2011 के आधार पर ओ०डी०एफ० घोषित किया गया है, तत्पश्चात् जनपद की ओ०डी०एफ० स्थिरता को बनाये रखने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके तहत आवश्यकतानुसार नवीन परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया है, जिसका संचालन ग्राम पंचायत की ही महिला समूह द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव मल के सुरक्षित निस्तारण हेतु जनपद के विकास खण्ड अमेठी की ग्राम पंचायत-बेनीपुर में 3 के०एल०डी० क्षमता की एफ०एस०टी०पी० का निर्माण भी कराया गया है, जिसमें सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल कचरे का सुरक्षित निपटान किया जा रहा है। इसके पश्चात् भी प्रायः यह देखने में आ रहा है कि नगरीय क्षेत्र में नगर निकायों द्वारा संचालित स्लज इम्पटी वैन अथवा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले प्राइवेट इम्पिटर्स द्वारा सेप्टिक टैंको से मानव मल डि-स्लज करने के पश्चात् जनपद में ही यत्र-तत्र खुले स्थान, नाले अथवा झाडी इत्यादि में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, जो कि वायु मण्डल एवं पर्यावरण हेतु अत्यन्त ही खतरनाक साबित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) धारा-268,269,270,277,278, व 294 अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने, उपेक्षापूर्ण कार्य किये जाने, जिससे जीवन के संकटपूर्ण रोग हो, गम्भीर बीमारी फैलाने, जल स्रोतो को दूषित करने, वायु मण्डल को प्रदूषित करने आदि के जिम्मेदार हैं, जिस हेतु 01 माह से 06 माह तक का कारावास एवं 500 से 10000रू0 तक का अर्थदण्ड प्राविधानित है। अतः ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में निरन्तर खुले में शौंच के दुष्प्रभाव से जागरूक किये जाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त निकाय/प्राईवेट इम्पिटर्स को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

अतः एतद् द्वारा यह निर्देश निर्गत किये जाते है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाय कि सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल कचरे को किसी भी दशा में यत्र तत्र खुले स्थान पर निस्तारित न किया जाय, उसे विकास खण्ड-अमेठी की ग्राम पंचायत-बेनीपुर में निर्मित एफ.एस.टी.पी. अथवा निकटस्थ एस.टी.पी./एफ.एस.टी.पी. में ही सुरक्षित निपटान किया जाय। यदि उक्त के विपरीत किसी भी स्तर पर मानव मल को खुले में फेंके जाने की स्थिति प्रकाश में आती है तो इसे गम्भीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए भारतीय दण्ड संहित के उक्त धाराओं के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जायेगा।

उक्त का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

12/2/2024

(निशा अनंत)
जिलाधिकारी,
अमेठी

पृ०सं० 6247 /पं०/स्व०भा०मि०-ग्रा०/2023-24 दिनांक-

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी।
3. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अमेठी को उक्तानुसार नगरीय क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी को ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद-अमेठी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अमेठी

पत्रांकः: /पं० /रा०बालि०दिवस / 2021–22 दिनांक– 25.01.2022

सहायक विकास अधिकारी (पं०)
विकास खण्ड–भेंटुआ एवं अमेठी।
जनपद–अमेठी।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट हेतु ग्राम पंचायत बेनीपुर विकास खण्ड–अमेठी में स्थापित एफ०एस०टी० प्लान्ट के रख–रखाव एवं संचालन के सम्बन्ध में।

1. बेनीपुर
2. महमूदपुर
3. परसावां
4. सरवनपुर
5. खेरौना
6. जंगलरामनगर
7. रेभा
8. सरायखेमा
9. भगनपुर (जंगलटिकरी)
10. टिकरी
11. थौर

मुख्य विकास अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2022 को विकास भवन सभागार में एम०ओ०यू० हस्ताक्षरार्थ आयोजित समन्वय बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट हेतु ग्राम पंचायत बेनीपुर विकास खण्ड–अमेठी में स्थापित एफ०एस०टी० प्लान्ट के रख–रखाव एवं संचालन हेतु विकास खण्ड अमेठी एवं भेंटुआ के पार्श्वांकित ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के समानुपातिक आधार पर प्रति व्यक्ति 9.00 रू० की दर से 15वॉं वित्त आयोग के टाइड फण्ड से निम्नानुसार अंशदान दिया जाना निर्धारित किया गया है:–

क्र०सं०	विकास खण्ड	O&M हेतु कलस्टर के ग्राम पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायत की जनसंख्या (जनगणना–2011) के अनुसार	प्रति व्यक्ति 9.00रू० की दर से प्रति ग्राम पंचायत निर्धारित O&M की धनराशि
1	Amethi	Benipur	1438	12942.00
2	Amethi	Mahmoodpur	3786	34074.00
3	Amethi	Parsawan	1989	17901.00
4	Amethi	Sarwanpur	2344	21096.00
5	Amethi	Kherauna	2138	19242.00
6	Amethi	Jangal Ramnagar	10843	97587.00
7	Amethi	Bhaganpur	1562	14058.00
8	Amethi	Rebha	1755	15795.00
9	Amethi	Sarai Khema	4722	42498.00
10	Bhetua	Tikari	7165	64485.00
11	Bhetua	Thaura	2403	21627.00
FSTP हेतु O&M पर प्रतिवर्ष अनु० व्यय–			40145	361305.00

उपरोक्त व्यय 15वॉं वित्त आयोग के टाइड फण्ड से निम्नानुसार व्यय किये जाने का प्राविधान है:–

- Major Head- 2215- (Water Supply and Sanitation)
- Minor Head- 103- (Sewerage and Sanitation)
- FFC PFMS Head- 24- (Sanitation Inculiding Septage Managment- XV)
- Object Head- 51- (Faecal Sludge Management Project - SBM-G)

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रति वर्ष एफ०एस०टी०पी० के रख–रखाव एवं संचालन हेतु निर्धारित किये गये व्यय धनराशि को संबंधित ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना की हस्ताक्षरित प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(एस०के० यादव)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
अमेठी

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

S.K.T

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP21803705899993U
Certificate Issued Date	:	13-Oct-2022 10:44 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14559004/ GAURIGANJ/ UP-AMT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455900436250226763851U
Purchased by	:	DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER AMETHI
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER AMETHI
Second Party	:	BLOCK AMETHI KI 9 GP AND BLOCK BHETUA KI 2 GP
Stamp Duty Paid By	:	DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER AMETHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

जिला पंचायत राज अधिकारी अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि०ख०–अमेठी, जनपद-अमेठी

Please write or type below this line

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU)

मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र (FSTP), बेनीपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश

जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी / जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी और 11 ग्राम पंचायतें क्रमशः ग्राम पंचायत बेनीपुर, महमूदपुर, जंगलरामनगर, परसांवा, सरवनपुर, सरायखेमा, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा और टिकरी के बीच मल अपशिष्ट निवारण संयत्र (**Faecal Sludge Treatment Plant**), बेनीपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन एवं संचालन तथा रखरखाव के लिए 13 अक्टूबर 2022 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर सहमति एवं हस्ताक्षर किया गया है।

ग्रा० वि० अ०

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

पंचायती राज विभाग अमेठी, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता एवं मल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने हेतु नोडल विभाग है, और **ग्राम पंचायतें** स्थानीय स्वशासन के रूप में जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता एवं मल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि संवैधानिक **(73 वां संशोधन)** अधिनियम, 1992 द्वारा निर्दिष्ट और निर्देशित है।

एवं

वाटरएड इंडिया (JSCF) एक तकनीकी एवं कियान्वयन संस्था है। जिसके द्वारा जनपद अमेठी के बेनीपुर ग्राम पंचायत में मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। निर्मित मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र (FSTP) का 1 वर्ष तक (अक्टूबर–2021 से सितम्बर–2022 तक) सफल सुचारु रूप से संचालन और रखरखाव JSCF (वाटरएड इंडिया) द्वारा करने के बाद अनुबन्ध की तिथि 13 अक्टूबर 2022 से संचालन व रखरखाव की जिम्मेवारी **11 ग्राम पंचायतें क्रमशः ग्राम पंचायत बेनीपुर, महमूदपुर, जंगलरामनगर, परसांवा, सरवनपुर, सरायखेमा, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा और टिकरी** एवं **जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी / जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी** को दी गयी है।

पृष्ठभूमि :

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (अब जल शक्ति मंत्रालय) देश के 23 जिलों में **मल अपशिष्ट प्रबंधन (FSM)** पायलट परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इस संदर्भ में, पत्र संख्या S-16011/8/2017 / SBM-III दिनांक 11 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में मल अपशिष्ट प्रबंधन (FSM) **वाटरएड इंडिया द्वारा जनपद–अमेठी, उत्तर प्रदेश मे FSTP** का निर्माण किया गया है। इसका लक्ष्य राज्य में ग्रामीण एवं उप शहरी क्षेत्रों में कम लागत और सस्ती मल अपशिष्ट प्रबंधन (FSM) समाधान प्रदर्शित करना है। वाटरएड इंडिया, देश के विभिन्न राज्यों में पायलट परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। FSTP बेनीपुर अमेठी राज्य का पहला ग्रामीण मल अपशिष्ट निवारण संयत्र है। वर्तमान समय मे इस संयत्र की क्षमता **3 KLD** (तीन हजार लीटर प्रतिदिन) है। भविष्य में आवश्यकतानुसार संयत्र की क्षमता बढायी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत........
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत........
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

यह समझौता ज्ञापन जनपद अमेठी की 11 ग्राम पंचायतों क्रमशः महमूदपुर, जंगलरामनगर, बेनीपुर, सरायखेमा, परसावां, सरवनपुर, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा, टिकरी और जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी / जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी, उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग से संबंधित है।

समझौते मे शामिल विभिन्न पक्षों की भूमिका और जिम्मेदारियां :–

जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी / जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी:–

Scanned with CamScanner

1. FSTP संयत्र के संचालन एवं रख–रखाव समिति के गठन में सहयोग करना।
2. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के सफल संचालन हेतु सूचना शिक्षा संचार सामग्री को बनवाने में ग्राम पंचायतों का सहयोग करना।
3. संयत्र के सुचारू संचालन हेतु संबन्धित पंचायतों को वार्षिक योजना में प्रावधान करना और वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराना।
4. वित्तीय एवं अन्य स्रोत (CSR) के लिए ग्राम पंचायतों को सहयोग देना।
5. FSTP संचालन एवं रख–रखाव समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करना तथा प्रगति की समीक्षा करना।
6. सेप्टिक टैंक से मल अपशिष्ट खाली करने वाले प्रत्येक टैंकर्स के लिए समान दर निर्धारण हेतु नगर पंचायत एवं व्यक्तिगत आपरेटर के साथ समन्वयन करना।
7. FSTP के 20 किलोमीटर परिधि क्षेत्र मे खाली किये जाने वाले सेप्टिक टैंक के मल अपशिष्ट को संयत्र मे अपलोड/डालने हेतु नगर पंचायत एवं व्यक्तिगत आपरेटर को निर्देश जारी करना व जिला प्रशासन, अमेठी से निर्देश जारी करवाने हेतु पैरवी करना।
8. टैंकर्स आपरेटरों को लाइसेंस और पंजीकरण करवाने मे सहयोग करना।
9. संचालन और रखरखाव की निगरानी हेतु समय–समय पर निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करना।
10. मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र की नियमित निगरानी मे सहयोग करना जिसमे प्रकियात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
11. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के संचालन हेतु नियमावली/नीति निर्धारण करने में सहयोग देना।

11 ग्राम पंचायतें (बेनीपुर, महमूदपुर, जंगल रामनगर, परसावां, सरायखेमा, सरवनपुर, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), टिकरी, थौरा) की जिम्मेदारियां:–

मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के सफल संचालन करने की जिम्मेदारी उपरोक्त 11 ग्राम पंचायतों की होगी।

मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के सफल संचालन हेतु FSTP संचालन एवं रखरखाव समिति का गठन करना आवश्यक होगा। संचालन एवं रखरखाव समिति की नियमावली निम्न होगी।

1. सदस्यता :

मल अपशिष्ट निवारण संयत्र (FSTP) के निकटवर्ती 11 गांम पंचायतें क्रमशः बेनीपुर, परसावां, महमूदपुर, जंगल रामनगर, सराय खेमा, खेरौना, रेभा, सरवनपुर, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा, टिकरी के ग्राम प्रधान संचालन एवं रखरखाव समिति के सदस्य होंगे।

2. बैठक :

- समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। बैठक का दिन और समय सर्वसम्मति से तय किया जायेगा।
- बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।
- कार्यवाही पुस्तिका में बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना अनिवार्य होगा।
- दो तिहाई बहुमत के आधार पर समिति की बैठक का कोरम पुरा माना जायेगा।
- संचालन एवं रखरखाव समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक अनिवार्य होगी। आवश्यकतानुसार कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपात बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

जिला पंचायत राज अधिकारी
अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......................
वि०खं०-अमेठी, जनपद-अमेठी

3. पदाधिकारियों का चयन :

FSTP के संचालन एवं रखरखाव समिति में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ग्राम पंचायत का सचिव संचालन एवं रखरखाव समिति का पदेन सचिव होगा। यदि एक पद के लिए दो से अधिक सदस्य दावेदार होते हैं तो एंसी परिस्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष का दायित्वः

समिति का संचालन करना, समिति के सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना, सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व का निर्धारण सर्वसम्मति से करना, बैठक आयोजित करने एवं संचालन करने के लिए जिम्मेदार, बैंक खाते का संचालन करना आदि।

कोषाध्यक्ष का दायित्वः

अपने समिति के सभी वित्तीय लेन देन एवं अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। कोषाध्यक्ष अपने समिति के सभी सम्पत्तियों के सही रख – रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। समिति के बैंक खाता का संचालन करेगा।

सचिव का दायित्वः

समिति के प्रशासनिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने समिति की बैठक की कार्यवाही एवं सभी खाता– बही को लिखवाने एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. बैंक खाते का संचालन :

समिति का खाता निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। बैंक खाते का संचालन समिति के पदाधिकारियों अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। बैंक से पैसा निकासी के लिए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पदाधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। यदि पदधिकारियों में कोई परिवर्तन होता है तो समिति बैठक की कार्यवाही के साथ इसकी सूचना बैंक को दे दी जायेगी। समिति के खाते में सभी ग्राम पंचायतों से निर्धारित संचालन एवं रख–रखाव पर होने वाले प्रति वर्ष वार्षिक व्यय की धनराशि (संलग्नक में लिखित संचालन और रखरखाव से संबंधित बजट के अनुसार) स्थानांतरित की जायेगी। जिससे FSTP के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......

5. संचालन एवं रखरखाव समिति का लेखा– जोखा :

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......

FSTP के संचालन एवं रखरखाव खर्च का विवरण समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा। जिसका विवरण समिति की बैठक में सभी सदस्यों के साथ साझा किया जायेगा। सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष द्वारा संचालन एवं रखरखाव खर्च का लेखा– जोखा रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

6. पदाधिकारियों का कार्यकालः–

संचालन एवं रखरखाव समिति द्वारा पदाधिकारियों का चयन 1 वर्ष के लिए होगा। एक वर्ष के बाद पुनः समिति के सदस्यों की उपस्थिति में पदाधिकारियों का चुनाव होगा, ताकि समिति के अन्य सदस्यों को भी समिति के नेतृत्व करने का मौका मिल सके। पदाधिकारियों के चुनाव हेतु कोरम दो तिहाई सदस्यों का होगा।

7. नियमावली में संशोधन :

नियमावली में संशोधन समिति के सदस्यों द्वारा दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

FSTP के संचालन एवं रख–रखाव हेतु 11 ग्राम पंचायतों की निम्न जिम्मेदारियां हैं–

1. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के सफल संचालन हेतु समुदाय को जागरूक करने एवं व्यवहार परिवर्तन के सन्दर्भ में सूचना शिक्षा संचार सामग्री को छपवाना व प्रचार–प्रसार करना।
2. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के उपचारित पानी का त्रैमासिक अर्थात वर्ष में 4 बार NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मे जांच करवाना एवं उसका रिकार्ड रखना।
3. मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र के सफल संचालन और रखरखाव हेतु पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करना एवुं 15 वें वित आयोग के टाइड फण्ड से संचालन और रखरखाव का खर्च अप्रैल–2022 से वहन करना।
4. FSTP संचालन एवं रख–रखाव समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में सहभागिता करना एवं बैठक में संचालन एवं रखरखाव का खर्च, आपरेटर के कार्य का मूल्यांकन, मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के माडयूल/घटक की स्थिति, खाद उत्पादन की प्रकिया एवं विकय की नियमावली, मल अपशिष्ट खाली किये जाने की दर, FSTP को व्यवसाय आधारित माडल बनाने की कार्ययोजना तैयार करना।
5. पी.डी.बी.से निकाले गये खाद बनने की प्रकिया पर निगरानी एवं विकय की नियमावली बनाना व बिक्री कर आय अर्जित करना।
6. FSTP पर लगाये गये बागवानी की निगरानी करना एवं संयंत्र को भविष्य में व्यवसाय आधारित माडल बनाने हेतु नये फलदार पौधरोपण करवाना।
7. ट्रक/टैंकर आपरेटरों द्वारा FSTP पर मल अपशिष्ट खाली किये जाने का वाउचर/चालान छपवाना एवं उन्हे उपलब्ध कराना।
8. सरकारी एवं व्यक्तिगत ट्रक ऑपरेटरों के साथ मल अपशिष्ट खाली किये जाने की दर निर्धारण हेतु समन्वय करना।
9. व्यक्तिगत ट्रक ऑपरेटरों को लाइसेंस और पंजीकरण हेतु सहयोग करना।
10. पी.डी.बी. से निकाले गये खाद की प्रकिया एवं विकय का दर निर्धारण करना।
11. ट्रक/टैंकर ऑपरेटरों द्वारा मल अपशिष्ट खाली किये जाने की निगरानी करना।
12. संचालन और रखरखाव से संबंधित बजट के अनुसार कार्य करवाना।
13. मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र पर मल अपशिष्ट खाली किये जाने हेतु ट्रक/टैंकर आपरेटरों को निर्देश जारी करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी/जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति से पैरवी करना व लागू करवाने में सहयोग करना।
14. जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी/जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति से वित्तीय एवं अन्य स्रोत CSR फण्ड के लिए पैरवी करना।

जिला पंचायत राज अधिकारी अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वि० ख०–भेटुआ, जि०–अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वि० ख०–भेटुआ, जि०–अमेठी

Scanned with CamScanner

15. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र की नियमित प्रक्रियात्मक और वित्तीय खर्च की नियमित निगरानी करना।
16. मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के संचालन हेतु नियमावली का समयानुसार अनुपालन करवाना।

वाटरएड इंडिया (JSCF) की जिम्मेदारी:-

वाटरएड इंडिया (JSCF) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यकतानुसार सामुदायिक जागरूकता, तकनीकी सहयोग, जानकारी तथा क्षमतावृद्धि हेतु संबन्धित पंचायतों और पंचायत राज विभाग एवं जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

वित्तीय दायित्व :

यह कि जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी / जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी और 11 ग्राम पंचायतें कमशः ग्राम पंचायत बेनीपुर, महमूदपुर, जंगलरामनगर, परसांवा, सरवनपुर, सरायखेमा, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा और टिकरी के बीच का समझौता होगा।

दिनांक-19-01-2022 को **मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी** की अध्यक्षता मे ग्राम प्रधानों, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम पंचायत सचिव एवं वाटरएड के साथ बैठक के निर्णय के कम में **जिला पंचायत राज अधिकारी**, अमेठी द्वारा निर्गत पत्र दिनांक-25-01-2022 को पत्रांक-5021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अन्तर्गत **मल अपशिष्ट प्रबंधन** हेतु बेनीपुर में JSCF/ वाटरएड के सहयोग से निर्मित मल अपशिष्ट निवारण संयत्र (FSTP) के ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 9.00 रू0 की दर से 15 वां विता आयोग के टाइड फण्ड के विभिनन मद Major Head- 2215- (Water Supply and Sanitation), Minor Head- 103- (Sewerage and Sanitation), FFC PFMS Head- 24- (Sanitation Inculiding Septage Managment- XV), Object Head- 51- (Faecal Sludge Management Project - SBM-G) से 11 ग्राम पंचायतें संचालन एवं रख-रखाव पर होने वाले इस वर्ष वार्षिक व्यय मे कमशः ग्राम पंचायत बेनीपुर-**12942.00** रूपये, ग्राम परसावां-**17901.00** रूपये, ग्राम पंचायत रेभा- **15795.00** रूपये, ग्राम पंचायत सरवनपुर-**21096.00** रूपये, ग्राम पंचायत खेरौना-**19242.00** रूपये, ग्राम पंचायत भगनपुर (जंगल टिकरी)-**14058.00** रूपये, ग्राम पंचायत सरायखेमा-**42498.00** रूपये, ग्राम पंचायत थौरा-**21627.00** रूपये, ग्राम पंचायत टिकरी-**64485.00** रूपये, ग्राम पंचायत जंगल रामनगर-**97587.00** रूपये एवं ग्राम पंचायत महमूदपुर.-**34074.00** रूपये, के रूप में खर्च वहन करते हुए संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करेंगी।

उपरोक्त संचालन एवं रखरखाव की धनराशि-**3,61,305.00** रूपये इस वर्ष के लिए निर्धारित है। आगामी वर्षो में सभी पक्ष आवश्यकतानुसार बजट में संशोधन कर संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करायेंगे।

नोट:- चूंकि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 का संचालन एवं रखरखाव लागत खर्च 3,60,000 रूपये की योजना दिनांक-19-01-2022 की **बैठक** में सर्वसम्मति से बनायी गयी थी। कार्ययोजना के लागत के पूर्ति हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी द्वारा ग्राम पंचायतो की जनसंख्या के आधार पर प्रति

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि0 ख0-भेटुआ, जि0-अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि0 ख0-भेटुआ, जि0-अमेठी

प्रति 9.00 रू0 की दर से 15 वां वित आयोग के टाइड फण्ड से संचालन एवं रखरखाव की धनराशि–3,61,305.00 रूपये इस वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है।

मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के संचालन एवं रखरखाव के खर्च (संलग्नक में लिखित संचालन और रखरखाव से संबंधित बजट के अनुसार) निम्न मद में किया जायेगा–

संचालन एवं रखरखाव के लिए FSTP संचालन एवं रखरखाव समिति का गठन किया जायेगा। समिति के नाम से खाता खोला जायेगा। जिसमे 11 ग्राम पंचायतों के 15 वें वित्त आयोग के टाइड फण्ड से संचालन एवं रखरखाव के हेतु वित्तीय 2022–23 वर्ष के लिए निर्धारित धनराशि–3,61,305.00 रूपये हस्तांतरित की जायेगी। जिससे मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के संचालन एवं रखरखाव से संबन्धित उक्त धनराशि का निम्न कार्य में व्यय किया जायेगा।

1. **FSTP आपरेटर का मानदेय–** FSTP के संचालन एवं रखरखाव पर अनुबन्ध की शर्त पर रखे गये आपरेटर के मानदेय का भुगतान करना।
   आपरेटर के मानदेय का भुगतान निम्न जिम्मेदारियों के निर्वहन के शर्त पर किया जाना है–

FSTP आपरेटर की जिम्मेदारियां–

आपरेटर मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार है। वह जो बेनीपुर, अमेठी में वाटरएड इंडिया (जल सेवा चैरिटेबल फाउण्डेशन) द्वारा निर्मित है। यह प्रकृति समाधान पर आधारित उपचार संयंत्र है। जहां पर सेप्टिक टैंक वाले शौचालय के मल अपशिष्ट के प्रशोधन का काम हो रहा है। जो ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के साथ समन्वय किया गया है। विशेष रूप से वह FSTP के आस–पास की हो रही गतिविधियों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। आपरेटर को एफ एस टी पी के परिसर में रात एवं दिन में रहने की आवश्यकता है। जिसके लिये आपरेटर की निम्न जिम्मेदारियां हैं–

स्क्रीन कक्षों को साफ करना, लागबुक भरना, मल अपशिष्ट खाली करने की प्रकिया में सहयोग करना, मल अपशिष्ट खाली करले समय एएसआर वाल्व खोलना और बंद करना, टैंकर प्रवेश करते समय FSTP का गेट खोलना व बंद करना, FSTP के PDB और PGF के पौधों के संरक्षण और कटाई का प्रबंधन करना, मल अपशिष्ट का नमूना एकत्र करना, पीडीबी एवं FSTP के अन्य माड्यूल के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना मे मदद करना, FSTP के प्रांगण मे लगाए गये पौधों की सिंचाई करना व उसकी सुरक्षा करना, प्रतिदिन ग्राउण्ड वाटर के स्तर की जॉच करना, FSTP के समस्त माड्यूल की देखरेख एवं उपलब्ध सभी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, मल अपशिष्ट निवारण संयंत्र के परिसर की सफाई आदि के लिए जिम्मेदार है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

Scanned with CamScanner

2. **बागवानी पर व्यय**– FSTP के प्रांगण मे लगायी गयी बागवानी की देखरेख हेतु रखे गये व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान करना एवं पौधों, खाद, कीटनाशक एवं बागवानी उपकरण आदि की खरीददारी करना।
3. **पंप रखरखाव का खर्च**– संग्रहण टैंक में उपचारित जल का बागवानी मे सिंचाई करने के लिए उपयोग किये जाने वाले पंप के रखरखाव के खर्च को वहन करना।
4. **बिजली का खर्च**– FSTP पर बिजली का कनेक्शन लेना व 500 किलोवाट के बिजली बिल का खर्च देना।
5. **सुरक्षा उपकरण** – FSTP पर मल अपशिष्ट खाली करने हेतु आने वाले आपरेटरों एवं वहॉ पर कार्यरत आपरेटर के लिए सुरक्षा उपकरण का कय करना व उन्हे उपलब्ध कराना।
6. **उपचारित जल का परीक्षण**– मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के उपचारित पानी के सैंपल की जांच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से त्रैमासिक अर्थात वर्ष में 4 बार करवाना।
7. **स्टेशनरी एवं सामान्य वस्तु** – संचालन एवं रखरखाव से संबन्धित स्टेशनरी एवं सामान्य वस्तु कय करना।
8. **IEC एवं बाउचर/चालान की छपाई**– नियमित/समयानुसार सेप्टिक टैक की सफाई करवाने से संदर्भित समुदाय में प्रचार–प्रसार के लिए IEC तथा मल अपशिष्ट खाली किये जाने हेतु ट्रक/टैंकर आपरेटरों को बाउचर/चालान देने हेतु छपाई खर्च देना।
9. **पी डी बी से मल अपशिष्ट खाली करवाना**– पी डी बी से मल अपशिष्ट खाली करवाने के उपरान्त उसमे लगने वाले रेत, पत्थर के खर्चे का भुगतान करना।
10. **पी डी बी मे पौधरोपण करवाना**– पी डी बी मे पौधरोपण का खर्च वहन करना।
11. **प्लांटेड ग्रेवेल फिल्टर का प्रतिस्थापन**– भविष्य मे प्लांटेड ग्रेवेल फिल्टर मीडिया क्षतिग्रस्त होने पर उसका प्रतिस्थापन करवाना।
12. **प्लांटेड ग्रेवेल फिल्टर मे पौधरोपण करवाना**– प्लांटेड ग्रेवेल फिल्टर मीडिया क्षतिग्रस्त होने पर उसका प्रतिस्थापन के उपरान्त या किन्ही कारणों से पौधे सूखते हैं। उस परिस्थिति मे पौधरोपण करवाना।
13. **ए0एस0आर0 खाली करवाना**– मल अपशिष्ट की मात्रा 100 से0मी0 से उपर होने पर ए0एस0आर0 को नियमानुसार खाली करवाना।
14. **कलेक्शन टैंक (संग्रह टैंक) की सफाई**– संग्रह टैंक में संग्रहित पानी का प्रत्येक त्रैमास मे क्लोरीन द्वारा सफाई करवाना एवं खर्च का भुगतान करना।
15. **विविध खर्च**– मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के संचालन एवं रखरखाव से सम्बधित सभी उपकरण/सामग्री के खराब/ क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत व नये सामान की खरीददारी तथा मजदूरी के खर्च का भुगतान करना।

मल अपशिष्ट निवारण संयत्र का परियोजना क्षेत्र:

वर्तमान समय में वाटरएड इंडिया (JSCF) द्वारा 11 ग्राम पंचायतों मे काम किया जा रहा है। जो क्रमशः बेनीपुर, ...दपुर, जंगलरामनगर, परसांवा, सरवनपुर, सरायखेमा, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा और टिकरी ग्राम पंचायतें हैं। उक्त ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य ग्राम पंचायतों से भी मल अपशिष्ट संयत्र में आ सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.........
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.........
वि0 ख0–भेटुआ, जि0–अमेठी

. समयांतराल :

इस समझौता ज्ञापन की प्राथमिक **अवधि अप्रैल 2022 से मार्च 2026** तक होगी, अथवा वर्तमान ग्राम पंचायतों के कार्यकाल तक, जो भी हो उस समय तक होगी। सभी पक्षों (11ग्राम पंचायतें और जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी/ जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति, अमेठी) को हर साल के पी आई पी के अनुसार मल अपशिष्ट निवारण संयत्र के समझौते की समीक्षा करेंगी। समीक्षा के आधार पर सहयोग के कुछ नये क्षेत्रों को **MoU** में जोड़ा जा सकता है। अन्तिम योजना प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में एक–दूसरे के साथ साझा की जायेगी।

संशोधन :

यदि **MoU** में जिला पंचायत राज अधिकारी/ जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति और 11 ग्राम पंचायतें कमशः ग्राम पंचायत बेनीपुर, महमूदपुर, जंगलरामनगर, परसांवा, सरवनपुर, सरायखेमा, खेरौना, रेभा, भगनपुर (जंगल टिकरी), थौरा और टिकरी को किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधनों को शामिल करने और उसको लागू करने के लिए सहमति होगी। दोनों पक्षों की लिखित आपसी सहमति से एमओयू में संशोधन किया जा सकता है। संशोधनों को प्रलेखित किया जाएगा और यह इस एमओयू का अभिन्न अंग बन जाएगा।

सभी पक्ष स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगी जो इस एमओयू से संबंधित हैं।

इस एमओयू के लिए सभी पक्ष के बीच दिनांक - 13 - 10 - 2022 — **को हस्ताक्षर किया गया।**

दिनांक	ग्राम पंचायतों का नाम	पद	हस्ताक्षर ग्राम प्रधान	हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सचिव	जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी की ओर से हस्ताक्षर
13-10-22	ग्राम पंचायत बेनीपुर	ग्राम प्रधान	(हस्ताक्षर व मुहर) ग्राम पंचायत बेनीपुर	(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ...... वि०ख०-अमेठी, जनपद-अमेठी	
	ग्राम पंचायत परसावां	ग्राम प्रधान	(हस्ताक्षर व मुहर) ग्राम पंचायत परसावां	(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ...... वि०ख०-अमेठी, जनपद-अमेठी	
	ग्राम पंचायत महमूदपुर	ग्राम प्रधान	(हस्ताक्षर व मुहर) ग्राम पंचायत महमूदपुर	(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ...... वि०ख०-अमेठी, जनपद-अमेठी	
	ग्राम पंचायत सरवनपुर	ग्राम प्रधान	(हस्ताक्षर व मुहर) ग्राम पंचायत सरवनपुर	(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ...... वि०ख०-अमेठी, जनपद-अमेठी	

(हस्ताक्षर)
जिला पंचायत राज अधिकारी
अमेठी

~~28/4~~

ग्राम पंचायत खेरौना	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत-खेरौना ह0 प्रधान हेमावती दिनांक	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत...... वि0खं0-अमेठी, जनपद-अमेठी
ग्राम पंचायत रेभा	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत रेभा मिथिलेश यादव वि0खं0-अमेठी,जि0-अमेठी	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत...... वि0खं0-अमेठी, जनपद-अमेठी
ग्राम पंचायत जंगल रामनगर	ग्राम प्रधान	राहुल वर्मा	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत...... वि0खं0-अमेठी, जनपद-अमेठी
ग्राम पंचायत भगनपुर (जंगल टिकरी)	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत भगनपुर ह0प्रधान शारदा यादव दिनांक- वि0 ख0-अमेठी, जनपद-अमेठी	
ग्राम पंचायत सरायखेमा	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत सरायखेमा ह0 प्रधान राधेश्याम दिनांक वि0ख0 अमेठी, जनपद अमेठी	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत...... वि0खं0-अमेठी, जनपद-अमेठी
ग्राम पंचायत टिकरी	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत टिकरी अमरावती	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टिकरी वि0 ख0—भेटुआ, जि0—अमेठी
ग्राम पंचायत थौरा	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत थौरा सीमासिंह	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत थौरा वि0 ख0—भेटुआ, जि0—अमेठी

13-10-2022

गवाही:

नामः	पदः	हस्ताक्षर
रामदीन	स॰ वि॰ अ॰ पं॰	
फिरदौस आलम	"	

सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)
भेटुआ- अमेठी

13/10/2022
जिला पंचायत राज अधिकारी
अमेठी

Scanned with CamScanner